बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

:: संकल्प ::

संकल्प सं0--सं0का0/विविध--5029/2001.....502...../पटना--15, दि0 8 मार्च, 2007

विषयः-- बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के अन्तर्गत गठित आयोग/बोर्ड/निगम/पर्षद/समितियों आदि के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, जिन्हें मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री की सुविधा अनुमान्य है, को देय सुविधाओं के संबंध में।

बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के अन्तर्गत गठित होने वाले आयोगों/बोर्डो/निगमों/पर्षद/समितियों आदि के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को मंत्री/राज्यमंत्री/उप मंत्री के देय सुविधाओं में से कौन--कौन सी सुविधाऐं प्रदान की जायेंगी, यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था। सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा ऐसे महानुभावों को मंत्री/राज्यमंत्री/उप मंत्री की देय सुविधाओं में से निम्नलिखित सुविधाएं यथा नीचे वर्णित रीति से उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है :--

2-- **वेतन** :--
मंत्री/राज्यमंत्री/उप मंत्री की सुविधा प्राप्त महानुभावों को प्रति माह 8000/-- (आठ हजार रूपये) अनुमान्य होगा।

3-- **आतिथ्य भत्ता** :--
(क) मंत्री की सुविधा प्राप्त अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के लिए 10,000/-- (दस हजार रूपये) प्रतिमाह।
(ख) राज्यमंत्री की सुविधा प्राप्त अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के लिए 8,000/--(आठ हजार रूपये) प्रतिमाह।
(ग) उप मंत्री की सुविधा प्राप्त अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के लिए 6,000/--(छः हजार रूपये) प्रतिमाह।

4-- **आवास की सुविधा** :--
मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री की सुविधा प्राप्त अध्यक्ष/उपाध्यक्ष निःशुल्क एवं सुसज्जित आवास के हकदार होगें। आवास तथा आवास के रख--रखाव एवं साज--सज्जा की जिम्मेवारी भवन निर्माण विभाग की होगी।

5-- **वाहन की सुविधा** :--
एक वाहन (प्रतिमाह 250 लीटर अधिकतम ईंधन की सीमा तक)।

6-- **सरकारी कर्त्तव्य के लिए अनुमान्य यात्रा** :--
मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री की सुविधा प्राप्त अध्यक्ष/उपाध्यक्ष की यात्रा की आवश्यकता का आकलन विभाग करेगा। निजी कार से अगर सड़क मार्ग से सरकारी कर्त्तव्य के लिए यात्रा की जाती है तो 10/-- रूपये प्रति किलोमीटर की दर से मील भत्ता देय होगा।
आवश्यकता होने पर हवाई यात्रा की सुविधा अनुमान्य होगी।

7-- **दैनिक भत्ता** :--
मंत्री/राज्यमंत्री/उप मंत्री की सुविधा प्राप्त अध्यक्ष/उपाध्यक्ष पदावधि पर्यन्त 500/-- रूपये प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता के हकदार होंगे।

8-- **दूरभाष की सुविधा** :--
मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री की सुविधा प्राप्त अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को प्रशासी विभाग कार्यालय तथा आवास पर एक--एक दूरभाष की सुविधा उपलब्ध करायेगा।

9-- **चिकित्सा सुविधा** :--
मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री की सुविधा प्राप्त अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के लिए एवं उनके परिवार के सदस्यों को अखिल भारतीय सेवा के प्रथम श्रेणी के पदाधिकारियों के समान निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा प्राप्त करने का प्रावधान प्रशासी विभाग के स्तर से किया जायेगा।

10– निजी कर्मियों की सुविधा :–

क्र0	महानुभाव	आप्त सचिव	निजी सहायक	नि0व0लि0	आदेशपाल
1.	मंत्री स्तर	02	02	01	02
2.	राज्य मंत्री स्तर	01	02	01	01
3.	उप मंत्री स्तर	01	01	01	01

क्रमांक 1 से 10 तक की उपर्युक्त सुविधाओं पर होने वाले व्यय का वहन संबंधित प्रशासी विभाग करेगा।

11– उपर्युक्त सुविधायें नियुक्ति की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

12– वर्त्तमान नीति के अनुसार ही मंत्रियों/राज्य मंत्रियों के अतिरिक्त मात्र विधान सभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उप सभापति तथा विधान सभा एवं परिषद् में विरोधी दल के नेता को ही एच0ओ0आर0 की सुविधा अनुमान्य होगी। इससे भिन्न जिन महानुभावों को मंत्री/राज्यमंत्री की सुविधायें दी जाती हैं, वैसे मामलों में औचित्य होने पर मुख्यमंत्री के विशेष आदेश से ही एच0ओ0आर0 की सुविधा दी जायेगी।

13– यदि अध्यक्ष/उपाध्यक्ष विधान सभा/विधान परिषद् के सदस्य हों तो सदस्य के रूप में प्राप्त होने वाली सुविधाओं अथवा मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री की सुविधा प्राप्त होने के कारण उपलब्ध होने वाली सुविधाओं में से किन्हीं एक का उपभोग कर सकेंगे।

14– उपर्युक्त सुविधाओं के संबंध में पूर्व के अब तक निर्गत अन्य सभी आदेश/निदेश/परिपत्र/संकल्प आदि निरस्त समझे जायेंगे।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय साथ ही सरकार के सभी विभागों को इसकी प्रति उपलब्ध करायी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
8/3/07
(गिरीश शंकर)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 502 / कि0-8/3/07

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार/अध्यक्ष, वित्त (लोक उद्यम ब्यूरो) विभाग/ वित्त आयुक्त, बिहार, पटना/सभी आयुक्त एवं सचिव/सचिव, सभी विभाग/माननीय मुख्य मंत्री के सचिव/माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

8/3/07
(गिरीश शंकर)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 502 / कि0 8/3/07

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रषित।

अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

8/3/07
(गिरीश शंकर)
सरकार के सचिव।